

सं. 3939  
1-8-11

70/11/11

21/11/11 (10)

वाच सं० 02

स्थायी परगनाधिकारी बागपत।

धारा 143 जा०वि०अधि०

महादेव इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी रामनगर

बनाम

सरकार

मौजा - रामनगर

परगना बागपत आ०वि०-14.11.05

नकल आदेश दि० - 14.11.05

उपजिलाधिकारी,  
बागपत।

महोदय,

संतान प्रार्थना पुत्र सन्दीप गिरि पुत्र श्री शिवकुमार गिरि 45 ट्यूबवेल कालौनी साकेत मेरठ ने इस आशय से प्रस्तुत किया है कि रामनगर तह० व जिला बागपत में गाटा सं० 48 रकबा 1.947 हे० को अकृषक भूमि घोषित की जाये।


इस सम्बन्ध में स्थल निरीक्षण किया गया स्थल पर गाटा सं० 48 रकबा 1.947 हे० में महादेव इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी रामनगर व शिक्षा कार्य हेतु निर्माण कार्य चल रहा है। जिसमें कृषि बागवानी या पशुपालन जिसमें मतस्य पालन तथा मुर्गी पालन शामिल है का कार्य नहीं हो रहा है। नियम 135 के अन्तर्गत विवरण निम्न प्रकार से है-

शामनगर	खाता सं०	जोत का क्षेत्रफल	वर्ग मी	गैर कृषि प्रयोजन के लिये प्रयुक्त जोत का क्षेत्र		विनिर्दिष्ट गैर कृषि प्रयोग जिसके लिये जोत या उसके भाग का प्रयोग किया जाता है	टिप्पणी
				क. भूखण्ड सं०	ख. क्षेत्र०		
सन्दीप गिरि पुत्र शिवकुमार गिरि नि० मकान नं० 45 ट्यूबवेल कालौनी साकेत मेरठ	2	2080 हे०	103.16	48 मि०	1.947 हे०	महादेव इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी रामनगर बागपत	-

उक्त के आधार पर उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं यू०पी० व्यवस्था अधि० 1950 की धारा 143 के अन्तर्गत गाटा सं० 48 मि० क्षेत्र 1.947 हे० को अकृषक महादेव इन्स्टीट्यूट ऑफ टैक्नोलोजी रामनगर के शिक्षा हेतु घोषित किये जाने की संस्तुति की जाती है।

आख्या सेवा में सादर प्रेषित।

प्रतिलिपि हेतु दिये गये स्टाम्प का मूल्य 14-00  
प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 14.11.11  
प्रतिलिपि संवार हुंसे का दिनांक 22.11.11  
प्रतिलिपि देने का दिनांक 3.12.11



20 MAY 2013

Raja Babu  
20. 2267153444